न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 02 किशनगढबास
इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 64/2018
माधवी बनाम विमल वगैरहा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
21.04.2026	डिक्रीदार व मदयूनान के अधिवक्ता उपस्थित। मदयून संख्या 17(बी) शरद शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2025 पर बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/मदयून संख्या 17 बी का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.05.2018 के पेज संख्या–5 पर प्रश्नगत खसरा नंबरान 2329, 2330, 2332, 2333, 2335, 2303, 2320, 2345, 2314, 2344, 2343, 2359, 2337 व 2339 का अवार्ड में उल्लेख नहीं होना बताया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नंबरान के संबधं में निर्देश दिये गये थे कि यह जांच की जाये कि उक्त खसरा नंबर अवार्ड आर्बिट्रेशन दिनांक 29.06.1976 के भाग है या नहीं, क्योंकि अवार्ड के अवलोकन से उक्त खसरा नंबरान का अवार्ड में उल्लेख नहीं हो रहा है। राजस्व अधिकारी व अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 में खसरा नंबर 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339 व 2345 ग्राम चकनासराबाद तन खैरथल अवार्ड का भाग माना गया है तथा शेष खसरा नंबरान 388, 389, 397 वाके ग्राम दांतला मण्डी तहसील मुण्डावर के बाबत जांच में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि ये खसरा नंबरान अवार्ड का भाग है अथवा नहीं ? ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर शेष खसरा नंबरान 388, 389 व 397 वाके ग्राम दांतला मण्डी की पुनः जांच रिपोर्ट तलब किये जाने की प्रार्थना की है कि उक्त खसरा नंबरान अवार्ड के भाग है या नहीं। जबकि विद्वान अधिवक्ता मदयूनान का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि उपरोक्त खसरा नंबरान के संबंध में पूर्व में ही कार्यालय तहसीलदार मुण्डावर के पत्र क्रमांक/आर.ए/2018/1038 दिनांक 20.06.2018 द्वारा विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश हो चुकी है और न्यायालय ने तहसीलदार भू.अभिलेख किशनगढबास की रिपोर्ट क्रमांक 1758 दिनांक 03.08.2018 तथा कार्यालय तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट क्रमांक 1038 दिनांक 20.06.2018 के आधार पर ही दिनांक 30.11.2018 को जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबरान 388, 397, 389 ग्राम दांतला मण्डी के संबंध में पुनः जांच रिपोर्ट	

लगातार.....	मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा उक्त प्रार्थना को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत इजराय माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा पारित डिक्री दिनांक 01.09.2003 की पालना में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2011 को पेश की गयी जो माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आर्बिटेशन अवार्ड दिनांक 19.06.1976 में उल्लेखित जय भारत ऑयल मिल की संपत्तिया जिला खैरथल में स्थित होने के कारण उक्त इजराय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1 किशनगढबास के यहां जरिये डाक दिनांक 27.11.2015 को प्राप्त हुई जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 07.03.2018 को प्राप्त हुई है। पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत खसरा नंबरान को लेकर विवाद था जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8258/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 द्वारा इस बाबत जांच करने के निर्देश दिये गये थे कि खसरा नंबर 2329, 2330, 2332, 2333, 2335, 2303, 2320, 2345, 2314, 2344, 2343, 2359, 2337 व 2339 ग्राम चकनासराबाद तथा विवादित खसरा नंबरान 388, 389, 397 ग्राम दांतला मण्डी मुण्डावर आर्बिटेशन अवार्ड दिनांक 19.06.1976 का भाग है या नहीं ? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2018 द्वारा ग्राम चकनासराबाद तहसील किशनगढबास के उक्त खसरा नंबरान एवं ग्राम दांतला मण्डी तहसील मुण्डावर में स्थित खसरा नंबर 388, 389 व 397 के संबंध में किशनगढबास तहसीलदार एवं मुण्डावर तहसीलदार को पत्र जारी कर आर्बिटेशन अवार्ड पारित होने की तिथि 29.06.1976 को उक्त खसरा नंबरान की भूमि के रिकॉर्ड की क्या स्थिति थी, इससे ठीक पूर्व जो व्यक्ति खातेदार के रूप में दर्ज थे उन्हें भूमि जरिये विरासत, बयनामा, दान से प्राप्त हुई और उन्हें किस प्रकार से उक्त विवादित भूमि वर्तमान खातेदार के पास प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध रमेश चंद वगैरहा ने माननीय राजस्थान उच्च	

	न्यायालय के समक्ष एस.बी क्रिम. रिट पिटिशन संख्या 16353/2018 बउनवान रमेश चंद वगैरहा बनाम श्रीमति माधवी वगैरहा प्रस्तुत की गयी थी, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.08.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात तहसीलदार (भू. अभिलख) किशनगढबास की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ/18/1758 दिनांक 03.08.2018 द्वारा ग्राम चकनासराबाद में स्थित खसरा नंबरान की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी एवं कार्यालय तहसीलदार मुण्डावर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक आर.ए/18/1038 दिनांक 20.06.2018 को ग्राम दांतला मण्डी में स्थित खसरा नंबरान 388, 389 व 397 के संबंध में रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। तहसीलदार किशनगढबास एवं तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत की गयी उक्त रिपोर्टों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी रिट पिटिशन संख्या 8258/2017 में दिये गये निर्देशों की पालना में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2018 को जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है। उक्त जांच रिपोर्ट में तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट तथा अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 जयभारत ऑयल मिल की परिसंपत्तियां होना माना गया है तथा उक्त आठों खसरा नंबरान आर्बिटेशन अवार्ड दिनांक 29.06.1976 का भाग माने गये है तथा उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 के अनुसार शेष खसरा नंबरान 388, 389 व 397 ग्राम दांतला मण्डी मुण्डावर के संबंध में प्राप्त रिपोर्टों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त खसरा नंबरान की भूमि जयभारत ऑयल मिल से संबंधित होकर प्रश्नगत आर्बिटेशन अवार्ड का भाग है या नहीं? इस न्यायालय द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 के विरूद्ध मदयून रमेश चंद वगैरहा ने एस.बी सिविल रिवीजन पिटिशन संख्या 16/2019 बउनवान रमेश चंद वगैरहा बनाम श्रीमति माधवी वगैरहा प्रस्तुत की गयी थी जो धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता के क्षेत्राधिकार में आना नहीं पाये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एस.बी सिविल रिवीजन पिटिशन को आदेश दिनांक 16.09.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया था।	

चूंकि प्रार्थी/मदयून सं. 17बी शरद शर्मा ने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम दांतला मण्डी में स्थित खसरा नंबरान 388, 389 व 397 के संबंध में इस आशय की पुनः जांच रिपोर्ट तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है कि उक्त खसरा नंबर आर्बिटेशन अवार्ड दिनांक 19.06.1976 का भाग है या नहीं?

इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि तहसीलदार किशनगढबास व तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2018 को जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है जिसके विरूद्ध मदयून रमेशचंद द्वारा एक रिवीजन पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय द्वारा पुनः खसरा नंबरान 388, 389 व 397 वाके ग्राम दांतला मण्डी तहसील मुण्डावर के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उक्त तीनों खसरा नंबरान के संबंध में तहसीलदार मुण्डावर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1038 दिनांक 20.06.18 पत्रावल में पूर्व से ही मौजूद है जिसके क्रम संख्या–5 में स्पष्ट रूप से तहसीलदार मुण्डावर द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि खसरा नंबर 388, 389 व 397 ग्राम दांतला मण्डी की जमीन मुताबिक रिकॉर्ड कभी भी फर्म जयभारत ऑयल मिल, खैरथल के नाम नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नंबर 388, 389 व 397 ग्राम दांतला मण्डी तहसील मुण्डावर के संबंध में पुनः जांच रिपोर्ट तलब कराया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि इस न्यायालय द्वारा उक्त तीनों खसरा नंबरान के संबंध में पुनः जांच रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है तो यह आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 का पुनरावलोकन किया जाना माना जायेगा, जबकि उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी रिवीजन पिटिशन याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही खारिज की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/मदयून 17बी शरद शर्मा की ओर से खसरा नंबर 388, 389 व 397 ग्राम दांतला मण्डी, मुण्डावर के संबंध में पुनः जांच रिपोर्ट तलब कराये जाने की प्रार्थना अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 के अनुसार खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339 व 2345 ग्राम चकनासराबाद की भूमि मै. जयभारत ऑयल मिल की परिसंपत्तियां होकर आर्बिटेशन दिनांक 29.06.1976 का भाग रही है। इस न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नंबरान की भूमि को कुर्क किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये थे जिसकी पालना में तहसीलदार, भू.अभिलेख जिला खैरथल तिजारा के पत्र क्रमांक भू.अ/2024/222 दिनांक 15.02.2024 द्वारा उक्त खसरा नंबरान की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार वर्तमान मौके की स्थिति दर्शाते हुए फर्द कुर्की रिपोर्ट तैयार की गयी है। उक्त फर्द कुर्की रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित हो रहे है कि :–

"उक्त खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 की कुर्की की कार्यवाही हेतु मौके पर पहुंचकर उक्त खसरा नंबरों की जांच की गयी एवं मौके का अवलोकन किया गया। मौका अवलोकन एवं जांच उपरांत जाहिर हुआ है कि प्रश्नगत आराजीयत एवं इसके आसपास मौके पर सघन आबादी है, उक्त आराजीयत पर मौके पर आबादी, पक्के मकानात, गायत्री मंदिर मय शिवालय, व्यवसायिक दुकाने, मोबाईल टावर, सी.सी रोड, आलीशान कोठिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, खैरथल, परशुराम धर्मशाला, हाईवे कोटपूतली किशनढबास (खैरथल से मातोर रोड) कच्चा रास्ता, शोरूम व सर्विस सेंटर टू व्हीलर व फोर व्हीलर, व्हीकल सर्विस सेंटर सघन आबादी, प्लाट्स आदि होने के कारण मुताबिक नक्शा एवं रिकॉर्ड के प्रश्नगत आराजी के रकबे की फिक्स सीमाओं को चिन्हित कर पहचान किया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान एवं चिन्हिकरण श्रीमान की मौजूदगी में, श्रीमान के निर्देश एवं मार्गदर्शन में उच्च सर्वे तकनीक एवं पद्धति द्वारा पर्याप्त अनुभवी टीम के द्वारा चिन्हित व पहचान कर सीमांकन निर्धारित करने के पश्चात ही माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार प्रश्नगत आराजीयत की कुर्की की कार्यवाही संपन्न किया जाना उचित व आवश्यक है, जिससे की कुर्की की कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं हो सके एवं भविष्य में इस हेतु उत्पन्न अन्य समस्या से बचा जा सके। उक्त समस्या के बावजूद भी मूल आदेश प्रति पर श्रीमान तहसीलदार साहब खैरथल द्वारा दिये गये आदेश की पालना में

हल्का पटवारी खैरथल 'ए' के साथ मौके पर रहकर पटवारी के उपलब्ध नक्शेनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 ग्राम चकनासराबाद की सीमाओं का मौके पर अनुमान लगाकर, पहचान करने के पश्चात मौके की वर्तमान स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति प्रस्तुत की गयी है तथा फर्द कुर्की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थितियों को पढकर सुनाई एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।''

उक्त फर्द कुर्की रिपोर्ट आई.एल.आर खैरथल एवं हल्का पटवारी खैरथल ए के द्वारा तहसीलदार, खैरथल को प्रेषित की गयी है जिसके उक्त फर्द कुर्की रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक 222 दिनांक 15.02.2024 द्वारा इस न्यायालय में पेश की है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त इजराय याचिका वर्ष 2016 की होकर इस न्यायालय का टारगेटेड प्रकरण संख्या 1 है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये गये है, लेकिन इसके बावजूद भी डिक्रीदार एवं मदयूनान द्वारा उक्त इजराय को शीघ्रता से निस्तारित कराये जाने में कोई गंभीरता से रूचि नहीं दिखाई जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त इजराय में आगे प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार एक वरिष्ठ अधिवक्ता को मौका कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम चकनासराबाद स्थित उक्त आठों खसरा नंबर एवं ग्राम दांतला मण्डी में स्थित खसरा नंबरों की भूमि की ''वर्तमान मौके की स्थिति'' उच्च सर्वे तकनीक एवं पद्धति द्वारा तहसीलदार, किशनगढबास, हल्का पटवारी एवं गिरदावर की उपस्थिति में तलब कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, ताकि न्यायालय के समक्ष उक्त आठों खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 ग्राम चकनासराबाद तहसील किशनगढबास व तीनों खसरा नंबरान 388, 389 व 397 ग्राम दांतला मण्डी तहसील मुण्डावर की 'वर्तमान मौके की स्थिति'' प्राप्त हो सके जिससे न्यायालय द्वारा आगे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हस्तगत इजराय की पालना कराया जाना संभव है या नहीं ? मौका कमिश्नर की नियमानुसार फीस डिक्रीदार एवं मदयूनान द्वारा भुगतान की जावेगी जिसके लिए उभयपक्षकारान भी सहमत है। पक्षकारान ने आगामी पेशी पर वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम

	कमिश्नर सूची में अंकित नामों में से ही आपसी सहमति से सुझाने हेतु अवसर चाहा। मौका कमिश्नर को तहसीदार किशनगढबास, तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत की गयी उक्त रिपोर्ट, तहसीदार किशनगढबास द्वारा की गयी फर्द कुर्की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2024 की प्रलिलिपि व फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 की प्रति उपलब्ध करायी जावे ताकि मौका कमिश्नर को मौका रिपोर्ट बनाने में सहायता प्राप्त हो सके। पत्रावली वास्ते नामित किये जाने मौका कमिश्नर दिनांक 28.04.2026 को पेश हो।	

	की भूमि के संबंध में ल तन खैरथल अवार्ड पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मदयून संख्या 11/1 रमेश चंद शर्मा की मृत्यु दिनांक 13.03.2026 को हुई है तथा प्रार्थीया/डिक्रीदार ने मदयून रमेश चंद शर्मा के विधिक वारीसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आज दिनांक 24.03.2026 को प्रस्तुत कर दिया है जो निर्धारित समयसीमा में पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मदयून 11(1) रमेश चंद शर्मा के स्थान पर उसके विधिक वारीसान 11/1/1 लगायत 11/1/4 को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डिक्रीदार संशोधित शीर्षक पेश करे। पत्रावली वास्ते मदयून 17(बी) शरद शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2025 की बहस व पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 07.04.2025 को पेश हो।	